

सतगुर ऑयल मिल्स और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (डी. वी. सहगल, न्यायमूर्ति)

डी. वी. सहगल न्यायमूर्ति के समक्ष
सतगुर ऑयल मिल्स और अन्य, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाता।
1988 की सिविल रिट याचिका संख्या 1014

25 जुलाई 1988.

हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट (1973 का XX) धारा 13(1)-प्रो-मिसरी एस्टॉपेल-टैक्स से छूट-मानदंड में बदलाव-पहले, केवल एक लाख की पूंजी निवेश सीमा के आधार पर छूट-दो साल के लिए दी गई छूट निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट प्रमाण पत्र देने की तिथि - इसके बाद केवल ऐसे छोटे ग्रामीण उद्योगों को छूट दी जाएगी जिनका टर्नओवर पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है। लाभ की वापसी - राज्य - क्या पूर्व अधिसूचना के तहत दी गई रियायतों को वापस लेने या कम करने से रोका गया है।

माना गया कि 2 जून, 1979 की अधिसूचना लागू होने पर स्थापित छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाइयाँ हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत कर के भुगतान से दो साल की अवधि के लिए कुल छूट का लाभ उठाने की हकदार हैं। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में छूट प्रमाणपत्र प्रदान करना। बाद की अधिसूचना केवल इस अर्थ में संभावित रूप से लागू हो सकती है कि यह उन औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी जो 31 दिसंबर, 1987 को लागू होने के बाद स्थापित हुई हैं। राज्य को पहले दी गई ऐसी रियायतों को वापस लेने या कम करने से रोका गया है। वचनबंधन का नियम उनके मामले पर पूरी तरह लागू होता है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता पूरे टर्नओवर पर मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में जारी छूट प्रमाणपत्रों के आधार पर कर के भुगतान से छूट के हकदार हैं, भले ही यह एक साल में पांच लाख रुपये से अधिक हो या नहीं। ऐसी छूट याचिकाकर्ताओं के मामले में छूट प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख से दो साल की अवधि तक लागू रहेगी।

(पैरा 7 और 11)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि: (i) प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी की गई अधिसूचना, अनुलग्नक पी/2, दिनांक 30 दिसंबर, 1987 को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए और यह माना जाए कि याचिकाकर्ता हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 13 के तहत उस अवधि तक छूट का आनंद लेने के हकदार हैं, जब तक उन्हें प्रतिवादी द्वारा सही छूट दी गई है। नंबर 2.

(iii) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, जारी किया जाएगा।

- (iv) अनुलग्नक पी/1 और पी/2 की प्रमाणित प्रतियाँ दाखिल करने और उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस जारी करने की अनुमति दी जा सकती है।
- (v) मामले के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं।
- (vi) रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

जसवन्त जैन एडवोकेट, राजेश बिंदल एडवोकेट के साथ।

एस. सी. मोहंता ए.जी. (हरियाणा), एस. के. सूद, अधिवक्ता के साथ।

निर्णय

यह निर्णय सी.डब्ल्यू.पी. का निपटान करेगा। संख्या 1014, 1203, 1234, 1591, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 3006, 3245 और 1988 की 3804। ये सभी याचिकाएँ समान तथ्यों पर आधारित हैं और कानून के समान प्रश्न शामिल हैं।

(2) हालाँकि, तथ्यों और दस्तावेजों का संदर्भ सी.डब्ल्यू.पी. से दिया जाएगा। 1988 की संख्या 1014 जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

(3) हरियाणा सरकार ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा हरियाणा के राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 जून, 1979 को एक अधिसूचना जारी की (संक्षेप में 'द अधिनियम') इस आशय से कि सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद स्थापित सभी छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को छूट देना ग्रामीण उद्योगों के हित में आवश्यक और समीचीन था, जिनका पूंजी निवेश मशीनरी और उपकरण की कीमत एक लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिसके पक्ष में माल की खरीद या बिक्री पर अधिनियम के तहत बिक्री कर के भुगतान से प्रतिवादी नंबर 1 के उद्योग विभाग द्वारा वास्तविकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई थी:-

(1) ग्रामीण लघु औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में एक छूट प्रमाण पत्र निर्धारण प्राधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक था।

इस संबंध में ऐसे प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर संबंधित जिले का। (2) बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए होगी।

(4) सभी याचिकाकर्ताओं ने बहुत समय बाद अपनी ग्रामीण छोटी इकाइयाँ स्थापित कीं 2 जून, 1979 की अधिसूचना के लागू होने के बाद, उन्हें उद्योग निदेशक द्वारा उनकी औद्योगिक इकाइयों की वास्तविकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया था और अधिनियम के तहत मूल्यांकन प्राधिकारी ने खुद को संतुष्ट किया था कि

औद्योगिक इकाई पर मशीनरी और उपकरणों पर पूंजी निवेश किया गया था। एक लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर छूट प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए छूट दी गई थी। हालाँकि, बिक्री कर के भुगतान से दो साल की छूट की अवधि समाप्त होने से पहले, प्रतिवादी नंबर 1 ने 30 दिसंबर, 1987 को एक अधिसूचना जारी की, जो 31 दिसंबर, 1987 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण), अनुबंध पी. 2 में प्रकाशित हुई, जिससे छूट दी गई। 22 जून, 1979 को या उसके बाद स्थापित सभी ग्रामीण लघु औद्योगिक इकाइयों को 1 जनवरी, 1988 से प्रभावी अनुदान दिया गया था, जिनकी मशीनरी और उपकरणों पर पूंजी निवेश एक लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिनके पक्ष में वास्तविकता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हरियाणा राज्य का उद्योग विभाग राज्य के भीतर किसी भी सामान की खरीद और बिक्री पर अधिनियम के तहत कर के भुगतान से। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया था कि ऐसी इकाइयाँ रुपये से अधिक के टर्नओवर पर छूट की हकदार होंगी। एक साल में 5 लाख। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी याचिकाकर्ताओं के मामले में उनका टर्नओवर रु. एक वर्ष में 5 लाख और अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 द्वारा उन्हें 5 लाख रुपये से अधिक के कारोबार पर अधिनियम के तहत कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

(5) याचिकाकर्ताओं का मुख्य आधार यह है कि, 2 जून, 1979 की अधिसूचना द्वारा उन्हें छूट प्रमाण पत्र प्रदान करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए अधिनियम के तहत कर के भुगतान से पूर्ण अवकाश दिया गया था। निर्धारण प्राधिकारी, लेकिन, - अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 के माध्यम से उन्हें रुपये से अधिक के कारोबार पर कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। एक साल में 5 लाख। उनके अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को रुपये से अधिक के टर्नओवर पर बिक्री कर के भुगतान पर छूट वापस लेने से रोक दिया गया है। 5 लाख। इसकी ओर से की जाने वाली ऐसी कार्रवाई, - अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 के अनुसार, प्रॉमिसरी एस्टॉपल के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। उनका तर्क है कि उन्होंने 2 जून की अधिसूचना पर कार्रवाई की। 1979 में, उन्होंने अपनी छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कीं जिन्हें उद्योग निदेशक द्वारा वास्तविक प्रमाणित किया गया और उनके पक्ष में छूट प्रमाणपत्र भी जारी किए गए। रुपये से अधिक के टर्नओवर पर बिक्री कर के भुगतान से छूट को हटाकर। 5 लाख उत्तरदाता वस्तुतः अपने वादे से मुकर रहे हैं जो वे नहीं कर सकते।

(6) याचिका का उत्तरदाताओं संख्या 1, 2 और 3 द्वारा विरोध किया गया है और उनकी ओर से एक लिखित बयान उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा दायर किया गया है, प्रतिवादी संख्या 4 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया है। तथ्यों पर वस्तुतः कोई विवाद नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि 2 जून, 1979 की अधिसूचना में निहित वादे पर कार्य करते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपनी छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कीं जो वास्तविक हैं और उद्योग विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं और भुगतान से पूर्वोक्त अधिसूचना के संदर्भ में छूट प्रमाण पत्र हैं। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में दो वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर जारी किया गया था। हालाँकि, यह कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास 2 जून, 1979 की अधिसूचना की शर्तों को संशोधित अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 जारी करके संशोधित करने और विशेष रूप से पहले दी गई रियायत को नई शर्तें लगाकर मामले वापस लेने की शक्ति है।

(7) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है। मेरा मानना है कि 2 जून, 1979 की अधिसूचना लागू होने पर याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाइयाँ उस तारीख से दो साल की अवधि के लिए अधिनियम के तहत कर के भुगतान से कुल छूट का लाभ उठाने की हकदार हैं। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में छूट प्रमाण पत्र प्रदान करना। अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 केवल इस अर्थ में संभावित रूप से लागू हो सकती है कि यह उन औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी जो 31 दिसंबर, 1987 को लागू होने के बाद स्थापित हुई हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को मामले में रियायतें वापस लेने या कम करने से रोका जाता है। अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं के मामले में प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का नियम पूरी तरह से लागू होता है। मुझे इस दृष्टिकोण के लिए पौरनामी ऑयल मिल्स आदि बनाम केरल राज्य और अन्य¹ और सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त (सहायक), धारवाड़ और अन्य बनाम धर्मेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी आदि², आदि से समर्थन मिलता है।

(8) श्री एस.सी. मोहंता, विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा, दो विवाद उठाए जिन पर मुझे अभी तक कोई समर्थन नहीं मिला है, यहाँ ध्यान दें, उनका पहला निवेदन यह है कि अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 एक छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाई को फिर से परिभाषित करती है, जिसमें यह अपनी परिभाषा के दायरे से एक ग्रामीण औद्योगिक इकाई को हटा देती है जिसका कारोबार एक साल में 5 लाख रुपये से अधिक है। उनका तर्क है कि जब सरकार ने 2 जून, 1979 की अधिसूचना जारी की तो एक छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाई से उसका क्या मतलब था, यह विस्तार से बताने और समझाने की उसकी शक्ति में सरकार है। इस तर्क में स्पष्ट रूप से कोई बल नहीं है। वास्तव में 8 वर्षों तक 2 जून, 1979 की अधिसूचना लागू रही है। कई छोटी ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों का कारोबार रुपये से अधिक रहा होगा। एक वर्ष में 5 लाख लेकिन सरकार ने किसी भी स्तर पर यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा कि ऐसी इकाइयों का कारोबार रुपये से अधिक हो। 5 लाख तक बिक्री कर के भुगतान से छूट नहीं होगी। यदि ऐसी स्थिति स्पष्ट कर दी गई होती, तो कई याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित नहीं की होतीं। अधिसूचना अनुलग्नक पी. 2 जारी करके सरकार वस्तुतः अपने वादे से पीछे हट रही है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह केवल उन इकाइयों के संबंध में ही संचालित हो सकती है जो इसके लागू होने के बाद स्थापित की गई हैं।

(9) श्री मोहंता श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य पर भी भरोसा करते हैं,³ यह तर्क देने के लिए कि सरकार द्वारा दी गई छूट केवल रियायत के माध्यम से थी। ऐसी रियायत किसी भी समय वापस ली जा सकती है। श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज मामले (सुप्रा) में स्पष्ट शब्दों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। उनके आधिपत्य ने तथ्यों पर पाया कि अपीलकर्ता ने उस अधिसूचना के अनुसरण में अपना उद्योग स्थापित नहीं किया था, जिसने नगरपालिका सीमा से 24 किलोमीटर से अधिक दूर स्थापित उद्योगों को

¹ एआईआर 1987 एस.सी. 590

² एआईआर 1988 एस.सी. 1247

³ एआईआर 1987 एस.सी. 142

कर के भुगतान से छूट दी थी। इस संबंध में स्थिति तब स्पष्ट होती है जब अंतिम न्यायालय के निर्णय में चर्चा के निम्नलिखित भाग का संदर्भ दिया जाता है:-

"वर्तमान मामले में तथ्य यह स्थापित करने के लिए नहीं जाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना द्वारा छूट देने के वादे के अनुसरण में और उसके अनुसरण में नए उद्योग को प्रश्न में खड़ा किया था। इसे अलग तरीके से कहें तो अपीलकर्ता यह साबित नहीं किया है कि पहली अधिसूचना में दी गई रियायत के बिना, उन्होंने प्रश्न में उद्योग स्थापित नहीं किया होता और यह पूरा उद्यम केवल सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार था। सेट किए गए तथ्यों से इससे पहले, यह देखा जा सकता है कि पहली अधिसूचना 29 अप्रैल, 1970 को की गई थी, जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित तेल मिल 17 मई, 1970 को ही चालू हो गई थी। यह अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है और वास्तव में इस बात पर कभी भी बहस नहीं की जा सकती कि उन्होंने परियोजना शुरू की और तेल मिल का निर्माण 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना जारी होने के बाद ही शुरू किया और पूरा निर्माण लगभग दो सप्ताह में पूरा हो गया। समय ताकि अपीलकर्ताओं को 17 मई, 1970 को संयंत्र चालू करने में सक्षम बनाया जा सके। अधिसूचना के तहत जो परिकल्पना की गई है वह यह है कि परियोजना शुरू की गई होगी और अधिसूचना के जवाब में और उस पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किसी उद्योग के चालू होने पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। वर्तमान उद्योग जैसे ऐसे उद्योग के संबंध में, कर छूट देने वाली अधिसूचना जारी करना केवल एक आकस्मिक परिस्थिति होगी और किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि उद्योग का चालू होना सीधे तौर पर सरकार की अधिसूचना का परिणाम था। कर छूट देना।"

(10) प्रॉमिसरी एस्टोपेल के नियम के संबंध में कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति को एक बार फिर श्री बकुल ऑयल इंडस्ट्रीज केस (सुप्रा) में इस प्रकार दोहराया गया था: -

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार द्वारा दी गई छूट केवल उद्यमियों को ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रियायत के रूप में थी और इस प्रकार यह रियायत वापस लेने या रद्द करने के लिए राज्य सरकार के लिए हमेशा खुला था। हालांकि, रद्द करने की शक्ति या वापसी एक सीमा के अधीन होगी अर्थात्, शक्ति का प्रयोग वचनबंधन के नियम के उल्लंघन में नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सरकार अपने द्वारा पहले दी गई छूट को वापस ले सकती है यदि ऐसी निकासी को अपमानित किए बिना किया जा सकता है प्रॉमिसरी एस्टोपेल का नियम और उक्त नियम के तहत कर के भुगतान से छूट का दावा करने के हकदार उद्योग को वंचित करना....."

(11) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं इन याचिकाओं को स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि अधिसूचना दिनांक 30 दिसंबर, 1987 अनुलग्नक पी. 2 याचिकाकर्ताओं की औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होता है। वे पूरे टर्नओवर पर मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में दिए गए छूट प्रमाणपत्रों के आधार पर कर के भुगतान से छूट के हकदार हैं, भले ही यह एक साल में 5 लाख रुपये से अधिक हो या नहीं। ऐसी छूट

याचिकाकर्ताओं के मामले में मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा छूट प्रमाण पत्र प्रदान करने की तारीख से दो साल की अवधि तक लागू रहेगी।

(12) हालाँकि, मामले की परिस्थितियों में, मैं लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, कैथल, हरियाणा।